न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील जीसीएमएस नम्बर 2020/00285 अपील संख्या 364/20

1. श्री गोरधन पुत्र झूथाराम
2. श्री जितेन्द्र शर्मा पुत्र श्री भैरूराम शर्मा, निवासीगण ग्राम गातेडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर

—अपीलान्टस्

बनाम

1. श्री श्याम सुन्दर पुत्र श्री वंशीधर, जाति ब्राहमण, निवासी सार्दुलपुरा, हाल निवासी मातेडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
2. श्री हरलाल पुत्र श्री कल्याणमल जाति जाट निवासी चौनपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
3. श्री भंवर लाल पुत्र श्री भैरू जाति जाट निवासी गातेडा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर राज० ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय ।

—रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर दिनांक 08.07.2019 जो इनके द्वारा अपील संख्या 71/2018 उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर में पारित किया गया।

उपस्थित—

1. श्री ब्रजेश पारीक, वकील अपीलान्ट
2. श्री के.के.पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

निर्णय

दिनांक —03.01.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के निर्णय दिनांक 08.07.2019 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभर लेक में दिनांक 07.04.2006 को रेस्पोडेन्टस संख्या 1 के नाम खसरा नम्बर 132/12 किता 1 रकबा 10 बीघा की भूमि का दिनांक 20.02.73 को आवंटन करवाकर गैर खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 24.05.73 को दर्ज करवाकर तत्पश्चात नामान्तरकरण संख्या 218 दिनांक 26.09.77 को गैर खातेदारी से खातेदारी का दर्ज करवाकर दिनांक 17.11.2005 को रेस्पोडेन्टर संख्या 2 के हक में 3/4 हिस्सा एवं 2 के हक में 1/4 हिस्सा बैचान कर दिये जाने पर ग्रामवासी मातेड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर जॉच करने के उपरान्त उक्त भूमि सडक से पश्चिम दिशा में आंशिक भूमि केवल सडक बनी हुई है एवं तलाई बनी हुई है जो ग्रामवासियों के मवेशियो के पानी पीने के उपयोग में आ रही है । इन तथ्यों की जाँच के पश्चात अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

1970 के तहत प्रकरण बनाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 26/2006 अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष प्रस्तुत हो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस के विरूद्ध कार्यवाही की गई। समस्त ग्रामवासियों की तरफ से रेस्पोडेन्टस संख्या 1 आवंटी एवं रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 व 3 खरीदारान के विरूद्ध धारा 14 (4) की कार्यवाही में भाग लेकर समय समय पर जिला कलेक्टर एवं उप–जिलाधीश, उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक एवं अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर के समक्ष समय समय पर तालाब की भूमि का बैचान एवं कब्जा के सम्बन्ध में कार्यवाहियां की गई । जिस पर सार्वजनिक हित की भूमि को ध्यान में रखकर समस्त ग्रामवासियों की तरफ से की गई कार्यवाही को महत्वपूर्ण समझ कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा ग्रामवासियों की ओर से प्रस्तुत प्रकरण संख्या 33/06 दर्ज किया जाकर आवंटी व खरीददारान के विरूद्ध कार्यवाही शुरू की गई उक्त दोनो प्रकरणों की अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अतिरिक्त कलेक्टर जयपुर ने दिनांक 27.04.2007 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय में यह निर्देश दिये की विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नही है । इससे प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवंटन से सम्बिधित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें। उक्त दोनो प्रकरणो की अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जयपुर द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर अतिरिक्त कलेक्टर महोदय ने दिनांक 27.04.2007 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपने निर्णय में यह निर्देश दिये की विवादित भूमि में राजस्व रिकार्ड की स्थिति स्पष्ट नही है। इससे प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार फुलेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि आवंटन से सम्बिधित भूमि की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रकरण निरस्त किये जाने योग्य आवंटन से सम्बन्धित प्रकरण पुनः प्रस्तुत करें । अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 27.04.2007 के विरूद्ध रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की ओर से 2 अपीले क्रमशः 22/07 व 23/07 विद्वान राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो उनके द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.09.2008 के द्वारा स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर के निर्णय दिनांक 27.04.2004 को निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध हाल अपीलान्टस द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर राज० में द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 4823/2009 उनवान गोरधन बनाम हरलाल वगैरह पेश की गई । राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 25.10.2016 उक्त अपील में निर्णय पारित किया गया जिसमें निर्णय पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के निर्णय दिनांक 04.09.2008 खारिज किया गया । प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया की आवंटन प्रकरण की पत्रावली एवं अन्य सम्बन्ध रिकार्ड की जाँच करवाई जाकर आवंटी एवं अन्य सम्बन्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर न्याय संगत आदेश 6 माह की अवधि में आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर में प्रकरण संख्या 265/2016 पुनः दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी किये गये तत्पश्चात पत्रावली जिला कलेक्टर जयपुर के आदेश दिनांक 30.07.2018 जब अतिरिक्त जिला तृतीय के यहाँ प्रकरण संख्या 71/2018 पुनः दर्ज की गई जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2019 पारित किया गया कि खसरा नंबर 132 की किस्म बेजड अव्वल आंवटन के समय भी थी वही किस्म आज तक

संभागीय आयुक्त
जयपुर

बरकरार है। अतः उक्त भूमि तलाई या नाडी हो यह रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं होता है। अप्रार्थी को व f 1973 में सद्भावी काश्तकार के नाते किये गये आंवटन एंव तत्तपश्चात प्रदान की गई खातेदारी के 46 व f पश्चात अब उसके आंवटन को खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) अस्वीकार किया जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2109 से व्यथित होकर अपीलान्ट गोरधन पुत्र झूथाराम वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के उक्त निर्णय दिनांक 08.07.2109 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम मातेडा में रोड के पश्चिम दिशा में एक कुण्ड तालाव है जिसमें ग्राम के मवेशियों, पशुओं व ग्राम वासियो के स्नान व पानी पीने के काम आता है इस तालाब का गलत तरीके से विधि विरुद्ध जाकर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 को कर दिया गया था जिसकी जानकारी ग्राम वासियों को भी नही थी इस तालाब पर पंचायत द्वारा व राजस्व सरकार द्वारा तालाब की खुदाई करवाई गई है जिसमें पाल व गहराई का काम करवाया गया था जिसमें लाखों रूपये राज्य सरकार के लगाए गये है अब इस तालाब पर नाजायज कब्जा किया जा रहा है जिसका खसरा नम्बर 132 है । जिसमें 10 बीघा भूमि का विधी विरुद्ध आवंटन किया गया है उक्त तालाब में वर्षो पुराना सार्वजनिक कुण्ड भी है उक्त कुण्ड से ग्रामवासी अपने पीने के लिए पानी काम में लेते आए है । कुछ समय पूर्व ग्रामवासियो को जानकारी हुई की उक्त तालाव की भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 श्याम सुन्दर पुत्र वंशीधर निवासी सार्दुलपुरा के नाम से आवंटित है एवं उक्त व्यक्ति ने उक्त तालाव का बैचान कर दिया है तथा दूसरे व्यक्ति को कब्जा करवाने पर उतारू है एवं आवंटी श्याम सुन्दर पुत्र बंशीधर ग्राम पंचायत सार्दुलपुरा में आने वाली किसी भी ग्राम का निवासी नही है फिर भी नाजायज तरीके से तालाब की भूमि को छुपे तौर पर आवंटन करवा लिया । जबकि राज्य सरकार द्वारा लाखों रूपये खर्च करके तालाब कुण्ड की सफाई करके पानी उपलब्ध करवाया जाता है। यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 श्याम सुन्दर ने दिनांक 20.02.73 को अपने नाम सार्वजनिक तलाई व मवेशियों के पीने के पानी की बावडी का आवंटन करवाया है। आवंटी ग्राम मातेडा या सार्दुलपुरा का रहने वाला नही है न ही वह कृषक है एवं न ही उक्त भूमि काविल काश्त में है जबकि मौके पर तलाई व कुण्ड के रूप में काम में आ रही है एवं उक्त भूमि कानूनन धारा 16 में आवंटन लिए वर्जित है एवं ऐसी सार्वजनिक भूमि के बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कई जॉच रिपोर्ट, मौका निरीक्षण की पत्रावली पर मौजूद है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि इस गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नही है एवं मौके पर भूमि पर कोई काश्त कभी हुई ही नही है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण रिमांड (प्रति प्रेषित) होकर आया जिसमें निर्देशित किया गया कि प्रकरण अपील/एल.आर.एक्ट/9872/2008/जयपुर इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय इन विवादित बिन्दुओ की जॉच कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करें जो निम्न है:– आवंटन चाहने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी श्याम सुन्दर द्वारा बिन्दु संख्या 3 में नियम 11 के तहत अपनी पात्रता का क्रम अंकित नही किया है

संभागीय आयुक्त
जयपुर

ना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का स्थान एवं दिनांक अंकित किया है इस प्रार्थना पत्र पर किसी भी अधिकारी द्वारा कोई टिप्पणी अंकित नही की गई है इसके बावजूद इसकी पुश्त पर पटवारी हल्का द्वारा ग्राम मातेडा के खसरा नम्बर 132/10 बंजड सिवाई चक बिना कब्जा भूमि उपलब्ध होने की टिप्पणी की है रकबा 10 बीघे पर (ओवरईटिंग) की जाकर उसे हिन्दी के 8 अक्षर में बदला गया है। दिनांक 20.02.1973 को ही सांभर में आवंटन कमेटी की बैठक खसरा नम्बर 132/10 बीघा भूमि आवंटन का आदेश है लेकिन हस्ताक्षर करने वाले तीनो व्यक्तियों के नाम पद नाम का विवरण या पद की मोहर अंकित नही है। आवंटन नियम 15 के अनुसरण में जारी होने वाले फार्म 5 के आदेश की दो प्रतियॉ संलग्न है लेकिन दोनो ही प्रतियों पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर पद की मोहर एवं दिनांक अंकित नही है। प्रार्थी श्याम सुन्दर ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं को सार्दुलपुरा तहसील फुलेरा का निवासी अंकित किया है जब कि फार्म 5 में तहसील सांभर अंकित है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में खसरा नम्बर 132 का रकबा 15 बीघा लिखा है पटवारी रिपोर्ट में 10 बिघा लिखा जाकर 8 बीघा बनाया गया है एवं आवंटन कमेटी ने 10 बीघा आवंटन का आदेश दिया है पटवारी रिपोर्ट पर भू अभिलेख निरिक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार की कोई टिप्पणी अंकित नही है। वर्ष 1973 में आवंटन के केवल 4 वर्ष बाद में ही वर्ष 1977 में आवंटी को खातेदारी भी प्रदान कर दी गई है जबकि उक्त वर्षो में भूमि पर कोई काश्त ना किया जाना गिरदावरी रिपोर्ट से जाहिर है। कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, (1) एवं 15 की पालना का आवंटन की पत्रावली में प्रथम दृष्टया स्पष्ट से अभाव प्रकट हो रहा है। इन समस्त तथ्यों के रिकोर्ड पर उपलब्ध होने के बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय जयपुर ने इनकी बिना परीक्षण एवं जांच कमेटी मनमानें ढंग से नजर अन्दाज करते हुए आवंटन मे किसी प्रकार का फोड या मिसरिप्रेजेन्टेशन ना होना मानते हुए आवंटन को पूर्णतया सही मानने मे गम्भीर विधिक त्रुटि की हैं नियम 14 (4) मे भी की जाने वाली कार्यवाही केवल मात्र फोड या मिसरिप्रेजेन्टेशन के आधार पर ही नही वरन नियम विरूद्ध आवंटन की स्थिति मे या आवंटन की शर्तो की अवहेलना की स्थिति मे भी की जाने प्रावधीत हैं। चूंकि इस प्रकरण मे आवंटन नियमों की अवहेलना प्रथमदृष्टया पुख्ता रूप से साबित हो रही हैं जिसको अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजर अन्दाज कर जो निर्णय पारित किया गया हैं पूर्णतः दोषपूर्ण होकर खारिज किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के बाबत श्रीमान तहसीलदार महोदय फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर मे श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय चतुर्थ जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 265/2016 की पत्रावली आर्डरशीट दिनांक 19.06.17 में पत्र कंमाक 2495 दिनांक 08.06.17 के माध्यम से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के लिए मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो दिनांक 19.06.17 को प्राप्त हो पत्रावली पर शामिल की गई जो पत्रावली पर मौजूद है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 में साफ तौर पर अंकित है की श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मातेडा में नही रहा है और न ही आवंटन के समय इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करता था। गांव का नाम बदलकर जो आवंटन श्याम सुन्दर द्वारा करवाया गया है वह गलत है जबकि वास्तविकता यह है कि राजस्व भूमि आराजीयात का मौके पर जनहित रूप में तालाब तलाई के रूप में गांव के मवेशियों के लिए पानी पीने के उपयोग में आ रही है उक्त रिपोर्ट को नजर अंदाज कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में समस्त तथ्यों को प्रकट करते हुए कहा कि विकय पत्र में श्याम सुन्दर नाम

सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

का व्यक्ति ग्राम मातेडा का पता दर्ज करवाकर विक्रय पत्र तस्दीक किया गया है परन्तु ग्राम गातेडा में श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति निवास नही करता है कि रिपोर्ट संलग्न करने पर भी उक्त विवादक बिन्दू पर कोई आधार अपने निर्णय में नही दिया है जबकि वकालतनामें में बैनाड लिखा गया है जो पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोनो पत्रों में विरोधाभास होने के बिन्दु को भी नजर अंदाज कर जो निर्णय पारित किया है वह खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर विद्वान अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर का निर्णय दिनांक 08.07.19 निरस्त फरमाया जाकर अन्य अन्य दादरसी करीने इंसाफ मोफिद अपीलान्टगण अता फरमाई जावे।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने खातेदारी भूमि होने के कारण भूमि खरीद की गई। भूमि की किस्म नदी, नाला व तलाई रिकॉर्ड पूर्व में दर्ज नहीं है। विवादित भूमि सिवाय चक बंजड 1 आंवटन के समय की जिसका आंवटन किया गया है। कोई तलाई, नदी नाला की भूमि नहीं है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा है। ग्रामवासियों द्वारा हैरान व परेशान करने की वजह से तथाकथित लोग शिकायत कर रहे हैं। विवादित भूमि कोई मवेशियान के पानी पीने के उपयोग में नही आ रही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 08.07.2019 पारित किया गया कि खसरा नंबर 132 की किस्म बेजड अव्वल आंवटन के समय भी थी वही किस्म आज तक बरकरार है। अतः उक्त भूमि तलाई या नाडी हो यह रिकॉर्ड के आधार पर साबित नहीं होता है। अप्रार्थी को व र्ष 1973 में सद्भावी काश्तकार के नाते किये गये आंवटन एंव तत्तपश्चात प्रदान की गई खातेदारी के 46 वर्ष पश्चात अब उसके आंवटन को खारिज किया जाना किसी भी स्थिति में न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) अस्वीकार किया जाने के आदेश पारित किये गये। उनका कहना है कि अधीनस्थ अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर का निर्णय दिनांक 08.07.2019 विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार फुलेरा मुकाम सांभरलेक ने ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 132/12 कुल रकबा 10 बीघा वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम मुताबिक जमाबंदी खाता संख्या 155 में खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दिनांक 20.02.1973 को आंवटन होने पर आंवटी श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर कौम ब्राहमण निवासी शार्दुपुरा के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 106 दर्ज होकर दिनांक 24.05.1973 को स्वीकार हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा विवादित भूमि को जरिये बेचान पत्र दिनांक 17.11.2005 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के हक में हिस्सा 3/4 एवं अप्रार्थी संख्या 3 के हक में हिस्सा 1/4 उक्त भूमि का बेचान कर दिया। अप्राथी संख्या 1 द्वारा आवंटन पंश्चात मुताबिक रिकॉर्ड खसरा गिदावरी चौसाला सम्वत 2033 से 2047 तक काश्त नहीं की गई। वर्णित भूमि की खातेदारी अधिकार अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के हक में बेचान पत्र पंजीबद्ध कर दिया । ग्रामवासी मातेडा द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच पाया गया कि उक्त भूमि सडक से पश्चिम दिशा में आंशिक भूमि में ग्रेवल सडक बनी हुई है एवं तलाई बनी हुई है, जो ग्राामवासियों के मवेशियान के पानी पीने के उपयोग में आती है। अधीनस्थ पत्रावली के अवलोकन से यह

संभागीय आयुक्त जयपुर

जाहिर होता है कि तहसीलदार महोदय फुलेरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) उनवानी सरकार बनाम श्याम सुन्दर मे अतिरिक्त जिला कलेक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 265/2016 की पत्रावली आर्डरशीट दिनांक 19.06.17 में पत्र कंमाक 2495 दिनांक 08.06.17 के माध्यम से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति के लिए मौका रिपोर्ट तलब की गई थी जो दिनांक 19.06.17 को प्राप्त हुई पत्रावली पर शामिल की गई जो पत्रावली पर मौजूद है। उपरोक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 08.07.2017 में साफ तौर पर अंकित है कि श्याम सुन्दर नाम का कोई व्यक्ति ग्राम मातेडा में नही रहा है और न ही आवंटन के समय इस नाम का कोई व्यक्ति निवास करता था। गांव का नाम बदलकर जो आवंटन श्याम सुन्दर द्वारा करवाया गया है वह गलत है। राजस्व भूमि आराजीयात का मौके पर जनहित रूप में तालाब तलाई के रूप में गांव के मवेशियों के लिए पानी पीने के उपयोग में आ रही है। इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत आंवटन आदेश में अब्दुल रहमान प्रकरण में जारी दिशा निर्देशों के तहत भी तालाब तलाई भूमि बाबत भी जो व्याख्या की गई है जिसके तहत तालाब तलाई भूमि में कोई हक व अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तथा तालाब तलाई भूमि को संरक्षित किया जाना उचित है। तत्पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 पारित किया है जो विधि सम्मत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2019 को निरस्त किया जाता है तथा आंवटन कमेटी द्वारा ग्राम मातेडा तहसील फुलेरा में स्थित भूमि आराजी खसरा नंबर 132/12 कुल रकबा 10 बीघा भूमि का आंवटन आंवटी श्यामसुन्दर पुत्र बंशीधर कौम ब्राहमण निवासी शार्दुलपुरा को आंवटन आदेश दिनांक 20.02.1973 निरस्त किया जाता है एवं उक्त आंवटन आदेश दिनांक 20.02.1973 के पश्चात हुये राजस्व अभिलेख के इन्द्राजात को भी अपास्त किया जाता है। तहसीलदार, तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि वापस राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज किया जावे।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।